केवल आंतरिक वितरण हेतु

सृजन

अगस्त 2024

फैडरेशन के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 13.08.2024

वार्षिक साधारण सभा 12 सितंबर को आहूत करने का निर्णय लिया

फैडरेशन के संचालक मण्डल कीं बैठक 13 अगस्त, 2024 को फैडरेशन कार्यालय, 32/131, स्वर्ण पथ, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर में फैडरेशन अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही का अवलोकन किया गया।

सदस्य सचिव ने बताया कि बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा फैडरेशन के वर्ष 2023–24 के अंकेक्षित लेखों का अनुमोदन तथा 31.03.2024 तक के संकलित लाभ का निवर्तन के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया किया गया। माननीय सदस्यो द्वारा फैडरेशन के स्थापना दिवस 18 जून, 2024 को हुए व्ययों की पुष्टि की गई।

माननीय सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में फैडरेशन को प्राप्त वार्षिक सदस्यता शुल्क/चंदे की दिनांक 31.07.2024 तक की स्थिति का अवलोकन किया गया एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन बैंकों से वर्ष 2024–25 एवं गत वर्षों का भी यदि बकाया हो, उनसे शुल्क प्राप्त करने हेतु पुनः निवेदन किया जावे।

इसके साथ ही अवसायनाधीन सुमेरपुर बैंक द्वारा देय शुल्क की छूट का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही गहन विचार–विमर्श पश्चात् 31.03.2018 तक बैंकों की ओर शेष बकाया रही राशि को विलोपित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अनुशंसा की कि फैडरेशन स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न विषयवार कमेटियां गठित की जावें जिनमें न्यूनतम फैडरेशन संचालकों में से एक अध्यक्ष के रूप में, किसी एक बैंक के अनुभवी प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी सम्मिलित किया जावे। सभी सदस्यों ने इस पर सहमति दर्शाते हुए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

अध्यक्षीय संदेश

हमारा देश अमृत काल के दौर में है। अभी 15 अगस्त को देश ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हमारे सहकारी आंदोलन के लिये भी वर्तमान समय सर्वथा अनुकूल है। हमें केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का यथोचित सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक एवं नेशनल फैडरेशन द्वारा हर प्रकार से सहयोग किया जा रहा है।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों की पालना में नेशनल फैडरेशन द्वारा राज्य के अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों के समस्त संचालकगण, बोर्ड आफ मैनेजमेंट के सदस्यों एवं मुख्य कार्यकारी/ वरिष्ठ अधिकारियों के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन को राजस्थान में ऐसी 4 प्रशिक्षण कार्यशालाएं क्रमशः जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं जयपुर मे आयोजित कर प्रशिक्षण कार्य पूरा करने का अवसर दिया है, इसके लिये हम उनके आभारी है। कार्यशाला की थीम ''कौरपोरेट गवर्नेंस में डायरेक्टर्स की भूमिका'' है जिसकी जानकारी बैंक के सभी निदेशकों व वरिष्ठ अधिकारियों को होना वांछनीय है। वर्तमान समय में टैक्नीकल बैंकिंग का समय है। तकनीकी ज्ञान में पीछे रहने वाला बैंकिग कार्यों में भी पीछे रह जायेगा। ''सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट'' का सिद्धांत यहां भी लागू होता है। राजस्थान में पहले 40 अरबन बैंकें थीं, अब 34 ही रह गई। बैंकों का निदेशक मंडल बैंक प्रबंधन के लिये पूर्णतः जिम्मेदार होता है। सरकार, ग्राहक, सदस्यों सबके प्रति हमारी जवाबदेही है। कार्यशालाओं में हमें नई बात सीखने और सीखी हुई को पुनः सीखने का अवसर हमें मिला है, हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिये।

दिनांक 12.09.2024 को स्टेट फैडरेशन की एवं 21.09.2024 को नेशनल फैडरेशन की वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न होने जा रही है जिसमें मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर गरिमापूर्ण उपस्थिति दर्ज करावें।

सहयोग की अपेक्षा में,

मोहन पाराशर

अध्यक्ष

फैडरेशन की मासिक समाचार–पत्रिका ''सृजन'' के माह अप्रैल, 2024 के अंक से फैडरेशन के संचालकों का प्रोफाईल विवरण एक–एक करके ''हमारे संचालक'' शीर्षक से प्रकाशित किया जा रहा है। इस कड़ी में फैडरेशन के अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर का प्रोफाईल विवरण प्रस्तुत है।

''हमारे संचालक''

श्री मोहन पाराशर
अध्यक्ष

नाम	श्री मोहन पाराशर
पिता का नाम	श्री छोगा लाल
निवास	मानपुरा कॉलोनी, जालौर
वाट्सएप मोबाईल नंबर अन्य मोबाईल नंबर	+91–9828523296 +91–9414152896
ईमेल – कार्यालय एवं व्यक्तिगत	mparasharj01@gmail.com
शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता	B.Com, FCA, DISA(ICA), CMA(Aus.)
व्यवसाय	चार्टेड अकाउंटेंट
जन्मतिथि	05.03.1964
अरबन बैंक से जुड़ाव कब से है	जालौर नागरिक सहकारी बैंक लि0 – ● सन् 1990 में फाउंडर सदस्य के रूप में जुड़ कर प्रथम बार सन् 1994 में निर्वाचित संचालक व बैंक के उपाध्यक्ष (सन् 1997 तक) ● सन् 2001 से 2006 तक बैंक के संचालक ● सन् 2006 से 2017 तक बैंक के अध्यक्ष रहे ● वर्तमान में नवम्बर, 2022 से पुनः बैंक के अध्यक्ष निर्वाचित
सामाजिक गतिविधियां	▪ सचिव– जालौर विकास समिति, जालौर ▪ कार्यकारिणी सदस्य– राजस्थान टैक्स कंसल्टैंट्स एसोसियेशन, जयपुर ▪ सदस्य– बाम्बे चार्टेर्ड अकाउंटेंट्स सोसायटी, मुम्बई ▪ मंडल अध्यक्ष– रोटरी अंतरराष्ट्रीय मंडल 3055 (अहमदाबाद, उत्तर गुजरात, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान) के वर्ष 2024–25 के लिये गवर्नर निर्वाचित ▪ मुख्य समन्वयक– जिला स्तरीय जालौर महोत्सव के सन् 2013 से मुख्य समन्वयक ▪ विश्वकर्मा विकास संस्थान जालौर
अन्य विशेष उपलब्धियां	○ 2010 से 2017 तक राज्य स्तरीय आरबीआई टास्कफोर्स के सदस्य ○ आरबीआई एवं सीए इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग प्रोग्राम में फैकल्टी के तौर पर प्रशिक्षण कार्य ○ राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. (सरकारी कंपनी) में स्वतंत्र संचालक ○ अमेरिका में रोटरी इंटरनेशनल संस्था के क्षेत्रीय कान्फ्रेंस को सम्बोधन ○ विश्व के 12 देशों में यात्रा का अनुभव ○ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर विभिन्न क्षेत्रों में संबंध ○ सहकारिता में अनुकरणीय योगदान के लिये 2 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय शहरी वित्त एवं विकास निगम लि. दिल्ली के शुभारंभ पर माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री द्वारा सम्मानित। ○ Acme Infomedia द्वारा 23 अगस्त, 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर बैस्ट चेयरमैन का अवार्ड से सम्मानित

चूरू जिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की बैठक आयोजित

बैठक में शेयर धारकों को दी उपयोगी जानकारी, लाभांश के बारे में बताया

भास्कर न्यूज | सादुलपुर

चूरू जिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के शेयर धारकों की सत्र 2023-24 की आम सभा शुक्रवार को जैन पुस्तकालय के मीटिंग हॉल में हुई।

बैंक चेयरमैन राहुल पारीक ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पारीक ने बताया कि बैंक के सत्र 2023-24 में 5902 शेयर धारक सदस्य है, जिनकी हिस्सा पूंजी 153.86 लाख रुपए है। बैंक को इस सत्र में 39.36 लाख का शुद्ध लाभ हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद चांवरिया ने बैंक के व्यवसाय के संबंध में जानकारी दी। चांवरिया ने बताया कि बैंक का सत्र 2023-24 का कुल व्यवसाय 93 करोड़ नौ लाख तथा एनपीए 41 लाख रुपए रहा। आम सभा

में संचालक मंडल उपनियमानुसार सदस्यों को उनकी अंश राशि पर घोषित 10 प्रतिशत लाभांश का अनुमोदन शेयर धारकों के हित में किया गया तथा आगामी सत्र में बैंक की अधिकृत पूंजी पांच करोड़ करने का एजेंडा स्वीकृत कर कुल 13 एजेंडे स्वीकृत किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रधान कार्यालय प्रबंधक अनवर अली, शाखा प्रबंधक जगदीश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष मंगतुराम मोहता, राजेंद्र डोरवाल, सुरेश अग्रवाल, पूजा कंवर बीका,निदेशक मंडल सदस्य उपाध्यक्ष रामकिशन बैरासरिया सहित 300 से अधिक शेयर धारक मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन लोकेंद्र पांडिया ने किया।

*On 28th August, 2024, Federation's Chairman Sh. Mohan Parashar, had the privilege of participating in the 37th Standing Advisory Committee for Urban Cooperative Banks meeting at the RBI in Mumbai. The meeting was chaired by Dy. Governor Shri M. Rajeshwar Rao. The active participation of esteemed RBI officials including NAFCUB Chairman Shri Laxmi Dasji, Umbrella Org. Shri Jyotindra Bhai Mehta, Central Registrar of Cooperative Societies from Delhi, Kerala, West Bengal, Maharashtra, as well as the Chairmen of Saraswat Bank, Mumbai, and Janta Sahakari Bank, Pune was made the meeting very useful. Our Chairman also contributed to important deliberations.

डिविडेंड का भुगतान केवल आलोच्य वर्ष के लाभ में से ही किया जा सकता है

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र क्रमांक RBI/2024-25@57, DOR.CP.REC.No. 30/09.18.201/ 2024-25 दिनांक 30.07.2024 जो उनके पूर्व परिपत्र दिनांक 05.07.2012 जो लाभांश के संदर्भ में जारी किया गया है, से निर्देशित किया है कि डिविडेंड का भुगतान पूर्व वर्षों के लाभ में से सृजित किये गये डिविडेंड इक्यूलाईजेशन फंड से नहीं किया जा सकता है, केवल संबंधित आलोच्य वर्ष के लाभ में से ही किया जा सकता है। यह भी निर्देशित किया गया है कि बैंक के पास उपलब्ध पूर्व में सृजित डिविडेंड इक्यूलाईजेशन फण्ड की राशि को समाप्त करते हुए उसे जनरल रिजर्व/फ्री रिजर्व में ट्रांसफर करें और इसका उल्लेख संतुलन चित्र में करावें। इससे यह टियर–1 केपिटल का भाग होगा। परिपत्र के बिन्दु सं. 5 में अधिनियम एवं बैंक के उप–नियमों की पालना की भी बाबत कही गई है।

फैडरेशन द्वारा इस संबंध में पत्र क्रमांक 112 दिनांक 7.08.2024 से सभी सदस्य बैंकों को **बैंक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही** से अवगत कराया है:–

- इस विषय को आगामी संचालक मंडल की बैठक में प्रस्तुत करें एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार निर्णय लें।
- बैंक के पास उपलब्ध पूर्व में सृजित डिविडेंड इक्यूलाईजेशन फण्ड की राशि को वैधानिक कोष/ जनरल रिजर्व/फ्री रिजर्व में संचालक मंडल के निर्णय पश्चात् हस्तांतरित करें।
- 31.03.2025 का संतुलन चित्र तैयार करते समय ''नोट्स ऑन अकाउंट्स'' में इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित किया जावे कि आलोच्य वर्ष में डिविडेंट इक्यूलाईजेशन फंड की उपलब्ध राशि को (रिजर्व का नाम देते हुए) रिजर्व में हस्तांतरित किया गया है।
- यदि आप उप–नियमों में इस विषयांतर्गत कोई संशोधन चाहते हैं तो इस संबध में भी आवश्यक कार्यवाही करें।

फैडरेशन के सहयोग से नेफकब द्वारा बैंकों के निदेशकों व वरिष्ठ अधिकारियों के लिये जयपुर में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

नेशनल फैडरेशन ऑफ अरबन को–ऑपरेटव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज (नेफकब) द्वारा दि राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लि., जयपुर के सहयोग से राजस्थान के 13 अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों के निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला दिनांक 30 अगस्त, 2024 को होटल सनडे, बाईस गोदाम सर्किल, जयपुर में आयोजित की गई जिसमें 50 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

सर्वप्रथम नेफकब के सलाहकार श्री सुभाष गुप्ता द्वारा मंचासीन भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों तथा सभी प्रतिभागियों का स्वागत अभिनन्दन किया गया।

नेफकब के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्ज्वलन में भारतीय रिजर्व बैंक के उप–महाप्रबंधक श्री विक्रम सिंह चन्द्रावल, उप–महाप्रबंधक श्री जे.एस.के. रावत, श्री हरीश वेदी, नेफकब के सलाहकार श्री सुभाष गुप्ता एवं राजस्थान फैडरेशन के अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर ने भी सहयोग किया। मंचासीन अतिथियों का शॉल ओढ़ा कर सम्मान किया गया।

फैडरेशन अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर ने गुलाबी नगरी जयपुर में इस कार्यशाला के आयोजन में सभी का अभिनंदन करते हुए कहा कि कार्यशाला की थीम ''कौरपोरेट गवर्नेंस में डायरेक्टर्स की भूमिका'' है जिसकी जानकारी बैंक के सभी निदेशकों को होना वांछनीय है। नेफकब ने राजस्थान को सबसे पहले प्रशिक्षण कार्य पूरा करने का अवसर दिया है। वर्तमान समय में टैक्नीकल बैंकिंग करनी पड़ रही है। तकनीकी ज्ञान में पीछे रहने वाला बैंकिग कार्यों में भी पीछे रह जायेगा। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कही और बताया कि राजस्थान में पहले 40 अरबन बैंकें थीं, अब 34 ही रह गई। निदेशक मंडल बैंक प्रबंधन के लिये पूर्णतः जिम्मेदार है। सरकार, ग्राहक, सदस्यों सबके प्रति हमारी जवाबदेही है। आज की कार्यशाला इसी दिशा में है। नई बात सीखने और सीखी हुई को पुनः सीखने का अवसर हमें मिला है, हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिये।

नेफकब अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास जी ने बताया कि नेफकब ने यह तय किया है कि जो लोग अरबन बैंकों के माध्यम से काम कर रहे हैं हम उनसे मिलें, चर्चा करें, हमारी आज की आवश्यकता क्या है, उसकी चर्चा करें। इसके लिये भारतीय रिजर्व बैंक से निवेदन किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर प्रशिक्षण में सहयोग किया।

उन्होने आगे बताया कि यह कार्यशाला वनवे ट्रेफिक नहीं है, आप सवाल जवाब कर सकते हैं। हमने कहा डायरेक्टर्स को भी बैंक से ऋण मिलना चाहिये, आरबीआई गवर्नर ने कहा, जब कानून होते हुए भी उल्लंघन हो रहा है तो छूट देने पर तो और ज्यादा संभावना है। बैंक से बेनामी लोन ले लेते हैं। सीबीएस वाले को हमने भुगतान कर दिया। यदि वह सर्विस प्रोवाईडर सही काम नहीं कर रहा है तो संचालक मंडल जिम्मेदार है। बैंक का निदेशक निर्वाचित होने पर वह पब्लिक सर्वेंट हो गया। हमने निदेशक बनने के बाद यह स्वीकार किया कि बैंक को रिजर्व बैंक व सरकार के नियमों से चलायेंगे। श्री लक्ष्मी दास जी ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों से कहा कि रिजर्व बैंक के परिपत्रों की भाषा क्लिष्ट होती है उन्हें सामान्य करनी चाहिये। बहुत सारे बैंकों के पैनल्टी सर्विस प्रोवाईडर्स के कार्यों की कमी के कारण लगी है। उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग बैंक को तकनीकी सेवाएं देते हैं, उनका अंकेक्षण आरबीआई को करना चाहिये। सर्विस प्रोवाईडर्स के मॉड्यूल की जांच आरबीआई करे।

नेफकब अध्यक्ष ने प्रतिभागियों से कहा कि कार्यशाला में हमें समझना है कि कौरपोरेट गवर्नेंस क्या है, निदेशकों की क्या भूमिका होती है। जिस समय बैलेंस शीट संचालक मंडल के पास आ गई, उसकी जिम्मेदारी संचालक मंडल की हो गई। इसलिये पूरी बात यहां से समझ कर जावें।

भारतीय रिजर्व बैंक के उप–महाप्रबंधक श्री विक्रम सिंह चन्द्रावल ने प्रतिभागियों को कार्यशाला में बताई जाने वाली बातों को सीखने, समझने को कहा। उन्होंने कहा कि नीति निर्धारण का कार्य सरकार का है इसलिये नीति वाले विषयों पर यहां रिजर्व बैंक के अधिकारी चर्चा नहीं कर पायेंगे किन्तु आपके चाहने पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों के संबंध में वे पूरी जानकारी देंगे। उन्होंने निदेशकों को सुझाव दिया कि वे इस कार्यशाला का पूरा लाभ उठावें।

भारतीय रिजर्व बैंक के उप–महाप्रबंधक श्री जे.एस.के. रावत ने कहा कि सहकारी बैंकें वर्ष 1904 में प्रारंभ हुई थी। अरबन बैंकों की संख्या 1500 से अधिक होने के वाबजूद उनका शेयर मात्र 3–4 प्रतिशत ही है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। कोरपोरेट सेक्टर ने बहुत उतार–चढ़ाव देखे हैं। आरबीआई जानता है कि नियमों, प्रकियाओं की नवीनतम जानकारी होना जरूरी है। नालेज लगातार अपडेट होती रहनी चाहिये। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के अधिकारियों का उद्देश्य कार्यों में दोष निकालना नहीं है अपितु कार्य में सुधार का होता है। बैंक में यदि नीतियों की पालना नहीं होती है तो उनकी जानकारी मिलती है, नीतियों में यदि कमी है तो उनकी जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा आपके सुझावों का स्वागत करेगी । यदि बैंक फायनेंसियली स्ट्रोंग व वैल मैनेज्ड होंगी तो कार्य बढ़ेगा।

नेफकब सलाहकार श्री सुभाष गुप्ता ने जानकारी दी कि कार्यशाला में केन्द्रीय सहकारिता सचिव श्री भूटानी किसी कारण से नहीं आ पाये हैं उन्होंने कार्यशाला के लिये अपनी शुभकामना भेजी है।

इसके बाद विधिवत प्रशिक्षण कार्यशाला प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री हरीश वेदी ने अरबन बैंकों में कारेपोरेट गवर्नेंस व निदेशकों की भूमिका की जानकारी दी। बैंक के प्रबंधन व कार्यों में निदेशकों को क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये की जानकारी दी। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की अरबन बैंकों से विनियमों सबंधी क्या क्या अपेक्षाऐं हैं, के बारे में बताया। श्री वेदी ने प्रतिभागियों द्वारा किये गये सवालों के संतोषप्रद जवाब दिये।

मध्यान्ह भोज के पश्चात् श्री हरीश वेदी के बाद दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक श्री पी.के.नाग द्वारा कोरपोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट –एसेसमेंट एवं इवेल्यूएशन के बारे में बताया। उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंकों/ ऋणदात्री (पैक्स) में सहकारी समितियों के प्रबंधन व अरबन बैंकों के प्रबंधन को तुलनात्मक रूप से स्पष्ट करते हुए बताया कि संचालकों के निर्वाचन में 12 में से 11 संचालक ऋणी सदस्य होते हैं तथा केवल एक सदस्य अऋणी होता है जबकि अरबन बैंकों में सारे संचालक अऋणी सदस्य होते हैं। उन्होंने निदेशकों के कार्यों को विस्तार से स्पष्ट किया।

कार्यशाला के अंतिम सत्र में फिनग्रोथ बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक व सलाहकार श्री ए.के.शाह ने बैंकों के प्रबंधन में निदेशकों की भूमिका को उदाहरण सहित बताया।

अंत में आयोजित खुले सत्र में प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं के बारे में प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने विषयों से संबंधित जानकारी दी गई। श्री सुभाष गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। बाद में हाई टी के साथ कार्यशाला विसर्जित की गई।

प्रशिक्षण कार्यशाला दि. 30.08.2024 की झलकियां

दि राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लि., जयपुर

– माह अगस्त, 2024 में फैडरेशन स्तर पर सम्पन्न मुख्य गतिविधियां –

- 1 अगस्त – फैडरेशन की 20वीं वार्षिक साधारण सभा के लिये वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका में प्रकाशन हेतु सदस्य बैंकों के अध्यक्षों के छाया–चित्र प्राप्त करने हेतु निवेदन कर फोटो प्राप्त किये गये।
- 3 अगस्त– सदस्य बैंकों से रू. 25 लाख तक वितरित लघु ऋणों की सूचना इकजाई तैयार कर नेशनल फैडरेशन ऑप अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज (नेफकब) को भेजी गई जिसके अनुसार 31.03.2024 को 15 बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित स्तर को प्राप्त नहीं कर पाये हैं।
- 6 अगस्त– राज्य के अरबन बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी ग्रेड के अनुसार मासिक आधार पर माह मई एवं जून हेतु देय तथा नई ग्रेड के अनुसार तिमाही आधार पर, माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर, 2024 हेतु देय मंहगाई भत्ते की गणना कर सदस्य बैंकों को अवगत कराया गया।
- 6 अगस्त – मासिक समाचार–पत्र "सृजन माह जुलाई, 2024" रिलीज कर सभी बैंकों एवं माननीय संचालकों को इमेल एवं वाट्सेप से प्रेषित किया गया।
- 7 अगस्त – विधानसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5891 द्वारा श्री चुन्नीलाल सी एल प्रेमी (52) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान को प्रस्तुत किया गया।
- 7 अगस्त – भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिविडेंड इक्यूलाईजेशन फंड के बारे में जारी परिपत्र दिनांक 30.07.2024 जो उनके पूर्व परिपत्र दिनांक 05.07.2012 के संदर्भ में जारी किया गया है, की विषयवस्तु से राज्य के अरबन बैंकों को अवगत कराया गया कि डिविडेंड का भुगतान पूर्व वर्षों के लाभ में से सृजित किये गये डिविडेंड इक्यूलाईजेशन फंड से नहीं किया जा सकता है, केवल संबंधित आलोच्य वर्ष के लाभ में से ही किया जा सकता है। यह भी अवगत कराया गया कि बैंक के पास उपलब्ध पूर्व में सृजित डिविडेंड इक्यूलाईजेशन फण्ड की राशि को समाप्त करते हुए उसे जनरल रिजर्व/फ्री रिजर्व में ट्रांसफर करें और इसका उल्लेख संतुलन चित्र में करावें। इससे यह टियर–1 केपिटल का भाग होगा। इस संबंध में बैंक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही से भी बैंकों को अवगत कराया गया।
- 8 अगस्त– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक पालिसी की जानकारी सभी सदस्य बैंकों को उपलब्ध करवाई गई।
- 9 अगस्त– नेफकब द्वारा फैडरेशन के सहयोग से 30 अगस्त, 2024 को जयपुर क्षेत्र के 13 अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों के संचालक मंडल के सदस्यों व वरिष्ठ अधिकारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला होटल सनडे, जयपुर में में भाग लेने हेतु सदस्य बैंकों को पत्र द्वारा निवेदन किया गया।
- 13 अगस्त – फैडरेशन के संचालक मंडल की बैठक फैडरेशन कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें 8 सदस्यों ने भाग लिया। इनके अतिरिक्त 4 सदस्यों ने वर्चुअली ऑनलाईन जुड़कर भाग लिया। बैठक में विचार–विमर्श पश्चात् वार्षिक साधारण सभा 12 सितम्बर, 2024 को आहूत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंकेक्षित ऑडिट रिपोर्ट एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया तथा वर्ष 2024–25 के अंकेक्षण हेतु संवैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति पर विचार किया गया। सदस्य बैंको द्वारा फैडरेशन को देय वार्षिक सदस्यता शुल्क एवं उनसे प्राप्त राशि की स्थिति का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया।
- 14 अगस्त – राज्य के अरबन बैंकों द्वारा वर्ष 2023–24 में प्राथमिक क्षेत्र में वितरित ऋणों की जानकारी सदस्य बैंकों एकत्रित कर नेशनल फैडरेशन को प्रस्तुत की गई।
- 14 अगस्त– नेशनल फैडरेशन ऑफ अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लि. की 48वीं वार्षिक साधारण सभा में राजस्थान फैडरेशन की ओर से भाग लेने के लिये अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम. एल. शर्मा के नाम भिजवाये गये।
- 16 अगस्त – फैडरेशन के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 13.08.2024 का कार्यवाही विवरण सभी माननीय सदस्यों को प्रेषित किया गया।
- 22 अगस्त – माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को राज्य के अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों में सीधी भर्ती बाबत बैंकों के संचालक मंडल को अधिकार दिये जाने बाबत विचारणीय बिन्दु प्रस्तुत किये

- 22 अगस्त – रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को धारा 99 एवं 100 की कार्यवाही के अधिकार अरबन बैंकों के मुख्य कार्यकारियों को दिये जाने बावत निवेदन पत्र भिजवाया।

- 23 अगस्त – अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर द्वारा मुम्बई में फैडरेशन की तरफ से राष्ट्रीय अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स तकनीकी सम्मेलन में विशिष्ठ अतिथि के तौर पर उपस्थित होकर अरबन बैंकों की फिनटेक कंपनियों से अपेक्षा के बारे में चर्चा की।

  इसी कार्यक्रम में Acme Infomedia द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर श्री पाराशर को जालौर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में बेस्ट चेयरमैन अवार्ड से सम्मानित

- 23 अगस्त – फैडरेशन की बीसवीं वार्षिक साधारण सभा वर्ष 2023–24, संचालक मंडल के निर्णयानुसार दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को होटल रूद्र विलास, जयपुर में आयोजित होने की सूचना मय विचारणीय बिन्दुओं के, सदस्य अरबन बैंकों को प्रेषित करते हुए भाग लेने हेतु निवेदन किया गया।

- 24 अगस्त – फैडरेशन की 13 अगस्त को आयोजित संचालक मंडल की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार नेशनल फैडरेशन ऑफ अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स की 21 सितंबर, 2024 को आयोजित वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने हेतु राज्य के सभी सदस्य बैंकों से निवेदन किया गया जिससे राजस्थान की गरिमापूर्ण उपस्थिति दर्ज होवे।

- 27 अगस्त – फैडरेशन की वार्षिक साधारण सभा दि. 12.09.2024 के एजेण्डा नोट्स एवं वार्षिक प्रतिवेदन मेल व वाट्सेप से माननीय सदस्य बैंकों को प्रेषित करते हुए सभा में भाग लेने हेतु निवेदन किया गया।

- 28 अगस्त – फैडरेशन अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर ने मुम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक इण्डिया की सेन्ट्रल बिल्डिंग में डिप्टी गवर्नर श्री एम.राजेश्वर राव की अध्यक्षता में स्टैंडिंग एडवाईजरी कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया जिसमें अरबन बैंकों के समसामयिक पॉलिसी विषयों पर विशेष चर्चा में पक्ष प्रस्तुत किया।

- 29 अगस्त – फैडरेशन अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण कार्यालय का विजिट किया तथा राईसेम निदेशक जो सहकारी भर्ती मंडल के सदस्य सचिव हैं, से अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों में नवीन सीधी भर्ती बाबत चर्चा की। इसके पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक की विजिट की तथा उप–महाप्रबंधक श्री जे.एस.के. रावत एवं श्री विक्रम सिंह चन्द्रावल से बैंकों के बारे में चर्चा की। सांयकाल श्रीमती अर्चना सिंह, रजिस्ट्रार महोदया के साथ भी अरबन बैंकिंग सेक्टर की समस्याओं के बारे में चर्चा कर निदान कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

- 30 अगस्त – राजस्थान फैडरेशन के सहयोग से नेशनल फैडरेशन ऑफ अरबन को–ऑपरेटव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज (नेफकब) द्वारा राज्य के 13 अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों के निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला होटल सनडे, बाईस गोदाम सर्किल, जयपुर में आयोजित की गई जिसमें 50 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला में नेफकब की ओर से अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास जी, सलाहकार श्री सुभाष गुप्ता एवं सहायक महाप्रबंधक श्री अनिल चौहान द्वारा भाग लिया गया। फैडरेशन की ओर से अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर के साथ प्रबंधक श्री प्रहलाद कुमार गुप्ता एवं एक्जीक्यूटिव श्री भुवनेश अग्रवाल ने भाग लिया।

  फैडरेशन अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर ने सभी का अभिनंदन करते हुए कार्यशाला की थीम ''कौरपोरेट गवर्नेंस में डायरेक्टर्स की भूमिका'' की जानकारी दी। उन्होने नेफकब द्वारा राजस्थान को सबसे पहले प्रशिक्षण कार्य पूरा करने का अवसर देने पर नेफकब अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास जी का आभार व्यक्त किया। वर्तमान समय में तकनीकी ज्ञान में पीछे रहने वाला बैंकिग कार्यों में भी पीछे रह जायेगा। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कही और बताया कि राजस्थान में पहले 40 अरबन बैंकें थीं, अब 34 ही रह गई। निदेशक मंडल बैंक प्रबंधन के लिये पूर्णतः जिम्मेदार है। सरकार, ग्राहक, सदस्यों सबके प्रति हमारी जवाबदेही है। हमें नई बात सीखने और सीखी हुई को पुनः सीखने का अवसर हमें मिला है, हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिये।

  कार्यशाला में भारतीय रिजर्व बैंक के उप–महाप्रबंधक श्री विक्रम सिंह चन्द्रावल, उप–महाप्रबंधक श्री जे.एस. के. रावत एवं सहायक महाप्रबंधक श्री हरीश वेदी ने भाग लिया। श्री वेदी ने प्रतिभागियों को बैंक कार्य में उनकी भूमि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अपेक्स बैंक के महाप्रबंधक श्री पी.के.नाग एवं फिनग्रोथ बैंक के पूर्व सलाहकार श्री ए.के. शाह ने भी प्रतिभागियों को उनके द्वारा क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, की विस्तृत जानकारी दी।

–0–0–0–.

Our Federation Chairman Mohan Parashar awarded as Best Chairman of Urban Cooperative Banks in a National Level Award Function of Rashtriya Urban Cooperative Banks Summit - an event organized by ACME in Mumbai on 23-8-2024.